(1)

न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, राजस्व मंडल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /अ- /16 निगि-9097- II-16

कमल कीर पटवारी हल्का नंबर 20

तहसील बुदनी जिला सीहोर म0प्र0..आवेदक

विरुद्ध

म0प्र0 शासन..अनावेदकगण

श्री.......................................ने

द्वारा आज दि.........................

प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 32 म.प्र.भू.रा.सं.1959 सहपठित धारा 144 सी.पी.सी. प्रकरण कमांक 3281/-दो/2014 में पारित आदेश दिनांक 15/07/2015 का पालन कराये जाने हेतु।

श्रीमान् जी,

आवेदक निम्न निवेदन करते है कि:-

01. यह कि आवेदक के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी महोदय सीहोर के आदेश पृष्ठांकन कमांक 538/कानूनगो/सीहोर/2014 दिनांक 28/07/2014 से परिदिदित होकर म.प्र.सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथ अपील) नियम 1966 एंव म.प्र.भू.रा.सं. 1959 की धारा 44-1 के तहत न्यायालय में अपील प्रस्तुत की थी। जिसमें माननीय न्यायालय के द्वारा दिनांक 15/07/2015 को प्रचलित प्रकरण माननीय अपर कलेक्टर महोदय से इस निर्देश के साथ समाप्त किया था कि प्रकरण जो कि माननीय अपर कलेक्टर महोदय के यहाँ प्रचलित प्रकरण का निराकरण तीन माह में करे परंतु उसका पालन नही किया जा रहा है।

21-6-16

21/6/16

02. यह कि सी.पी.सी. की धारा 144 में स्पष्ट प्रावधान है कि किसी पक्षकार को वह लाभ पुनः वापस दिलवाना है जिसे एक अन्य या अन्य अनेक पक्षकार ने ऐसी डिकी के अधिन उसे प्राप्त कर लिया या ऐसे आदेश से प्राप्त कर लिया है जिसे पश्चात् में गलत अभि निर्धारित किया गया है। इस प्रकार प्रत्यास्थापन का अर्थ किसी पक्षकार को डिकी/आदेश के उपान्तरण फेरफार अथवा उलटे जाने पर वह चीज वापिस दिलवाने से है जिसे वह डिकी के निष्पादन में अथवा डिकी के प्रत्यक्ष परिणाम स्वरूप खो चुका था। प्रत्यास्थापन का यह सिद्धांत लागू होता है कि

के मूल / अपीलीय आदेश दिनांक. . . . .

के विरुद्ध श्री . . . .

के अभिभावक द्वारा अपील / पुनरीक्षण / पुनरावलोकन-पत्र प्रस्तुत किया गया जो पंजीबद्ध किया जा चुका है।

पुनरावलोकन अवधि बाह्य है / नहीं है / मुद्रांक शुल्क पूर्ण है / . . . . रु. की कमी है। आदेश, जिसके विरुद्ध यह अपील / पुनरीक्षण / पुनरावलोकन है, की प्रतिलिपि संलग्न है / नहीं है। अपील / पुनरीक्षण / पुनरावलोकन की प्रतियां दी गई हैं / नहीं दी गई हैं। आव्हान शुल्क दे दिया है / नहीं दिया है।

प्रस्तुतकार

12/7/16

आवेदक अभि० श्री- सुनीलसिंह जादौन उपस्थित / अनुपस्थित धारा 32 म०प्र० भू० राजस्व संहिता 1959 सहपठित धारा- 144 C.P.C. प्रकरण क्रमांक 3281-अ/14 में पारित आदेश दिनांक 15/7/15 का पालन

[पीछे देखिये

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावक आदि के हस्ताक्षर
	न करने के कारण प्रस्तुत की गई है। अतः अधीनस्थ न्यायालय अध्यक्ष प्रतिप्रेषण प्रकरण का निराकरण तीन माह में नहीं किया गया है। 2 - अतः आवेदक अभिभाषक द्वारा व्यक्त किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अब प्रकरण में आदेश पारित कर दिया गया है, इसलिये अब यह प्रकरण चलाने का कोई औचित्य नहीं है। 3. अतः प्रकरण न चलाने के कारण (नोटप्रेस) में समाप्त करने का अनुरोध किया। आवेदक अभि० के अनुरोध पर प्रकरण नोटप्रेस में समाप्त किया जाता है। [signature]	पढ़ा 12-7-16 [illegible]